



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(14)वित्त/आब/2020

जयपुर, दिनांक: 04/01/2021

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2021-22 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरदरबारी लाल	जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	15.10.1961	31.10.2021
2.	श्रीमती रेखा माथुर पत्नि श्री प्रेम प्रकाश माथुर	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	29.07.1961	31.07.2021
3.	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री सवाई सिंह शेखावत	आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	25.06.1961	30.06.2021
4.	श्री गोपाल दीक्षित पुत्र श्री डी. आर. दीक्षित	आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	19.09.1961	30.09.2021
5.	श्री मदन लाल पुत्र श्री नानुराम खटीक	सहायक आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	10.07.1961	31.07.2021


यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

क्रम संख्या 2 पर अंकित अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस क्रमांक प.19(जन)(38)वि.जांच/आब/2019/2427 दिनांक 22.10.2019 विचाराधीन है।

क्रम संख्या 5 पर अंकित अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस क्रमांक प.19(एम)(1)वि.जांच/आब/2017/311-312 दिनांक 25.05.2017 विचाराधीन है।

आज्ञा से,



(ऑफ़िसरमल राजौतिया)
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन) शासन सचिवालय, जयपुर-302005
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcuse@rajasthan.gov.in



प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प01(जी)(1)संस्था /आब/2020/1674 दिनांक 05.11.2020 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्त तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव